

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-01/2025/217/आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक- 06.02.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान में रु० 80.00 लाख, 2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान में रु० 10.00 लाख, 2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान में रु० 11.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव में रु० 10.00 लाख अर्थात् कुल रु० 111.00 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान, उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान एवं लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010003, 39-2245021010005, 39-2245021010006, 39-2245021010007 एवं 39-2245021170002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-154 दिनांक-27.01.2026 /भागलपुर के पत्रांक-82 दिनांक-16.01.2026/वैशाली के पत्रांक-69 दिनांक-16.01.2026 एवं 70 दिनांक-16.01.2026/समस्तीपुर के पत्रांक-1693 दिनांक-19.12.2025 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में अगलगी से निपटने हेतु व्यय किया जाएगा।
4. उपर्युक्त 04 (चार) जिलों को लघुशीर्ष/उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार एवं विपत्र कोड सहित पूर्व एवं वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृतिदेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(संदीप कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-03 / बजट-01-01 / 2025 / 217 / आ0प्र0,पटना-23 दिनांक-06.02.2026

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, भागलपुर, वैशाली, पटना एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 06/2/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

अनुलनक - I

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विषय शीर्ष- 37 01 अनुग्रह अनुदान (अगलगी के मद्देनजर)	2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विषय शीर्ष- 35 01 नगद /वस्तु (अगलगी के मद्देनजर)	2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विषय शीर्ष- 35 01 नगद /वस्तु (अगलगी के मद्देनजर)	2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव 39-2245021170002 विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (अगलगी के मद्देनजर)	आवंटन का कुल योग					
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन				
1	भागलपुर	16.00	48.00	30.00	0.00	14.00	0.00	61.00	48.00		
2	वैशाली	40.00	0.00	45.00	10.00	29.00	11.00	1.00	5.00	115.00	26.00
3	पटना	64.00	32.00	60.00	0.00	40.00	0.00	4.46	0.00	168.46	32.00
4	समस्तीपुर	20.00	0.00	100.00	0.00	60.00	0.00	6.00	5.00	186.00	5.00
	कुल	140.00	80.00	235.00	10.00	143.00	11.00	12.46	10.00	530.46	111.00

(एक करोड़ न्याह लाख रुपये)

Amal Kumar

विशेष कार्य पदाधिकारी

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापक-